**भारत सरकार**

**गृह मंत्रालय**

**राज्‍य सभा**

**तारांकित प्रश्‍न संख्या 281\***

**दिनांक 21.03.2018/30 फाल्‍गुन, 1939 (शक) को उत्तर के लिए**

**लापता बच्‍चे**

**†\*281. श्री विशम्भर प्रसाद निषादः**

**क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः**

**(क) विगत तीन वर्षों के दौरान, देश में लापता हुए बच्‍चों का लिंग-वार ब्यौरा क्या है;**

**(ख) क्या वर्ष-दर-वर्ष, विशेष रूप से दिल्ली में, लापता होने वाले बच्‍चों की संख्या निरंतर बढ़ती जा रही है;**

**(ग) ऐसे कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया है जो बच्‍चों का अपहरण करके या तो उनसे अवैध कार्य करवाते हैं अथवा उन्हें बेच देते हैं;**

**(घ) क्या यह भी सच है कि बच्‍चों के लापता होने के संबंध में रिपोर्ट लिखवाने में पुलिस द्वारा अभिभावकों को प्रताड़ित किया जाता है; और**

**(ङ) विगत तीन वर्षों के दौरान, मानव तस्करी को रोकने हेतु उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है?**

**उत्तर**

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हंसराज गंगाराम अहीर)**

**(क) से (ङ): एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।**

-2-

दिनांक 21.03.2018 के राज्य सभा तारांकित प्रश्न संख्या \*281 के उत्तर में उल्लिखित विवरण

(क): राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, पिछले तीन वर्षों के दौरान देश में लापता बच्चों का लिंग-वार ब्योरा निम्नानुसार है:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2014 | 2015 | 2016 |
| बालक | 27,260 | 23,848 | 22,340 |
| बालिका | 41,614 | 36,595 | 41,067 |

(ख): वर्ष 2014, 2015 और 2016 के दौरान दिल्ली में क्रमशः कुल 7513, 7928 और 6921 बच्चे लापता सूचित किए गए थे।

(ग): वर्ष 2014, 2015 और 2016 के दौरान बच्चों के अपहरण और व्यपहरण के संबंध में क्रमशः कुल 31,125, 30,538 और 39,090 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया था।

(घ) और (ङ): भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची के तहत 'पुलिस' और 'लोक व्यवस्था' राज्य के विषय हैं। कानून और व्यवस्था बनाए रखने, नागरिकों के जीवन और संपत्ति की सुरक्षा की जिम्मेदारी मुख्य रूप से संबंधित राज्य सरकारों की है। राज्य सरकारें विधि के मौजूदा प्रावधानों के तहत ऐसे अपराधों से निपटने में सक्षम हैं।

गृह मंत्रालय, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को बच्चों के प्रति अपराध के संबंध में विधि प्रवर्तन मशीनरी अर्थात पुलिस और दांडिक न्याय प्रणाली के अन्य पदाधिकारियों को संवेदनशील बनाने और बच्चों के प्रति अपराध के मामलों की पूरी तरह से जांच करने तथा समय पर आरोप पत्र दायर करने के लिए समय-समय पर परामर्शी-पत्र जारी करता है। ये परामर्शी पत्र गृह मंत्रालय की वेबसाइट <http://mha.gov.in> पर उपलब्ध हैं।

गृह मंत्रालय ने मानव दुर्व्यापार के मामलों को निपटाने के लिए 270 मानव दुर्व्यापार-रोधी इकाइयों की स्थापना हेतु राज्यों को वित्तीय सहायता भी प्रदान की है।

\*\*\*\*\*